फा.सं.वाई-14/3/2018- बीएफ़एल

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,

नई दिल्ली -110049

दिनांकः **31.10.2018**

नोटिस

विषयः प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना की बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्ताव/ईओआई के आमंत्रण/प्रस्तुत करने की तारीख में विस्तार के संबंध में।

यह, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना की बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजों के सृजन के लिए भावी प्रमोटरों/निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 07.03.2018 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड एवं विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की सूचना के संदर्भ में है। प्रस्ताव/ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख दिनांक 31.10.2018 को अथवा उससे पूर्व की थी। हालांकि, अब ईओआई/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख **विशेष रूप से एसटी प्रमोटरों द्वारा प्रमुख शेयर हॉल्डिंग वाली परियोजनाओं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की परियोजनाओं के लिए दिनांक 30.11.2018 के सायं 5:00 बजे तक** तक बढ़ा दी गई है।

एसटी/ एनईआर वर्ग के इच्छुक प्रमोटर/निवेशक अपने प्रस्ताव/ईओआई केवल ऑनलाइन पोर्टल अर्थात **http://sampada-mofpi.gov.in/linkages/login.aspx के माध्यम से दिनांक 30.11.2018** को अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 07.03.2018 को जारी ईओआई की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

गि. जोशी 31/10/2018

(गिरीन्द्र जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-26406584

ईमेलः cbfl-mofpi@gov.in